(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 300–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–10–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 202/निग0/2004–05.

1. महाबीर तनय वंशधारी राम
2. चन्द्रिका तनय वंशधारी राम
निवासीगण भटिगवॉं, तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्द सिंह तनय विजयराज सिंह
निवासी ग्राम भटिगवां तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक आवेदकगण
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23 मई 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ने ग्राम भटिगवां तहसील मऊगंज जिला रीवा द्वारा भूमि सर्वे कमांक 18 रकबा 0.81 एकड़ तथा भूमि नं0 19 रकवा 0.40 एवं सर्वे कमांक 20 0.49 एकड़ में सीमांकन हेतु आवेदक नायब तहसीलदार नईगढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–7–2004 के द्वारा सीमांकन आदेश

पारित किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 12–8–2005 के द्वारा निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त आयुक्त ने आदेश दिनांक 11–10–2006 के द्वारा निगरानी स्वीकार जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नईगढ़ी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि स्वतः मौके पर उपस्थित होकर सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही सुनिश्चित करे। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण अभिभाषक ने तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त नईगढ़ी द्वारा सीमांकन की विधिवत प्रकिया करने के पश्चात सभी सरहदी काश्ताकारेां की उपस्थिति में सीमांकन किया तथा फील्ड बुक एवं स्थल पंचनामा तैयार किया गया जिसपर सभी सरहदी काश्ताकारों के हस्तक्षर हैं। तर्क में यह भी कहा कि सीमांकन प्रकिया उचित होने से अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर निगरानी को निरस्त किया गया और तहसील न्यायालय के आदेश को उचित माना। यह भी तर्क किया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में ऐसा कोई आधार नहीं दर्शाये कि दोनों निम्न न्यायालयों द्वारा सीमांकन में क्या त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि नायब तहसीलदार ने विधिवत सरहदी काश्तकारों को सूचना जारी नहीं की और न ही उनकी उपस्थित में सीमांकन कार्यवाही की गई। यह भी तर्क दिया कि उनकी आपत्तियों का निराकरण भी नहीं किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा इन तथ्यों पर बिना विचार किये निगरानी निरस्त की गई। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त ने विधिवत दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त कर पुनः

तहसीलदार को प्रकरण सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है। अपर आयुक्त के आदेश उचित है, अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 26–5–04 को सरहदी काश्तकारों को सूचना जारी की गई है जिसमें कामता सिंह, मंगलेश्वर, गोविन्द तथा लक्ष्मण के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर अंकित नहीं है जहां तक अनावेदक को सूचना तामील होने का प्रश्न है सूचना पत्र पर अनावेदक के पुत्र के हस्ताक्षर है जिसके कारण उसे विधिवत नहीं कहा जा सकता। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत सीमांकन प्रकरण में सरहदी काश्तकारों को सीमांकन के पूर्व विधिवत सूचना दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सूचना तामील नहीं कराई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दिये बिना और हस्ताक्षर कराये बिना पंचनामा बनाना कार्यवाही को दुषित एवं व्यर्थ कर देता है। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति का भी तहसीलदार द्वारा मात्र राजस्व निरीक्षक एवं आवेदकगण के जबाव के आधार पर यह मानते हुये कि अनावेदक द्वारा सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है तथा वह स्वतंत्र भूमिस्वामी होने से आपत्ति को निरस्त करने में त्रुटि की है। यदि अनावेदक स्वतंत्र भूमिस्वामी था तो उसका नाम सूचना पत्र में क्यों अंकित किया गया। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा इसकी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, तो नायब तहसीलदार को विधिवत एवं सकारण आपत्ति का निराकरण करना चाहिए था। अपर आयुक्त द्वारा इन्हीं आधारों पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश एवं अपर कलेक्टर के आदेश को उचित नहीं मानते हुये निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है।

अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 11–10–2006 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर